न्यायालय, उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, खूँटी

विविध अपील वाद सं0– 02/2016–17

पुरन नाग उर्फ पुरन महतो पिता स्व0 झुगटू साहू उर्फ लेंगटु महतो
ग्राम–रनियां, थाना–रनियां, जिला–खूँटी – अपीलकर्त्ता

बनाम्

धनन्तरी साहू पिता बुधराम साहू
ग्राम–रनियां, थाना–रनियां, जिला–खूँटी – विपक्षीगण

आदेश का क्रम सं0 और तारीक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
16.1.21	**आदेश**	

यह वाद आवेदक पुरन नाग उर्फ पुरन महतो ने अंचल अधिकारी, रनियां के द्वारा कम रकबा का रसीद काटे जाने के विरूद्ध वाद दायर किया है जो निम्नवर्णित भूमि से संबंधित है:–

ग्राम	थाना/थाना नं0	खेवट नं0	खाता सं0	रकबा(एकड़ में)
रनियां	रनियां 138	2/1 2/3	1, 3, 7, 51 15	17.08

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उनके पिता एवं चार व्यक्ति मिलकर खेवट नं0 2/1 से खाता नं0 1, 3, 7 एवं 51 खेवट नं0 2/3 के खाता नं0 15 कुल रकबा 17.08 एकड़ भूमि मौजा रनियां प्रगना बेलसिया थाना नं0 138, थाना तोरपा, हाल थाना रनियां दिनांक 21.03.1951 को खरीदकर अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज कराने के पश्चात् बराबर दखलकार हुए और साल दर साल बिहार सरकार को मालगुजारी देते रहे। दाखिल खारिज के पश्चात् जमाबंदी बुधराम महतो वो चोएता महतो पेशरान टुनु महतो, रूंगटु महतो वो आवेदक के पिता झुंगटु महतो उर्फ लेंगटु महतो पेशरान अघनु महतो के नाम से कायम हुआ। वर्ष 2015 को अंचल कार्यालय में खाता सं0 1/2 + 15 का रसीद काटा जिसमें सिर्फ 12.03 एकड़ रकबा अंकित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता पुनः कथन करते है कि खाता नं0 1, 7, 3 एवं 15 का रसीद न काटकर खाता नं0 1/2 वो 15 रकबा 12.03 एकड़ का रसीद काटा जबकि पुराने रसीद में कुल रकबा 17.08 एकड़ दर्ज है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता पुनः कथन करते है कि उपरोक्त बातों के बाबत पुनः अंचल कार्यालय गये तो अंचल अधिकारी ने जमाबन्दी रद्द कर दिया। अंत में आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि खाता नं0 1 प्लॉट नं0 क्रमश

1574, 1575, 1442, 1427, 1424, 1443, 1304 एवं 1305 कुल रकबा 6.50 एकड़ विपक्षी धन्त्री साहु का स्वयं का अपना निजी अर्जित किया गया जमीन है। जिसे वे भूतपूर्व जमींदार ठाकुर महेन्द्र नाथ शाहदेव द्वारा बन्दोबस्त सन् 1948 ई0 में किया गया था जिससे मालगुजारी देकर खास दखलकार चले आ रहे है। वर्णित सम्पत्ति (भूमि) में अपीलकर्त्ता/आवेदक पुरन नाग वगैरह का किसी तरह का कोई हक–सरोकर नहीं है। अपीलकर्त्ता आवेदक ने धनन्तरी साहू को वृद्ध अवस्था देख कमजोर पाकर वर्णित जमीन रकबा 6.50 एकड़ स्वंय अर्जित सम्पति में निरर्थक दावा करते है जो गलत एवं बदनियत का परिचायक है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता पुनः कथन करते है कि अपने हिस्से की जमीनों में स्वंय अर्जित सम्पति में सरकार को मालगुजारी देकर दखलकार चला आ रहे है। जिसमें अर्द्ध निर्मित मकान, कुआँ एवं बगान है। उक्त वर्णित सम्पति में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी एम. 86/2016 धारा 107 द0प्र0सं0 का मुकादमा झगरू साहू वगैरह बनाम् धन्त्री साहु वगैराह हुआ जो दिनांक 13.06.2017 को समाप्त हुआ। न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी 85/2016 धारा 144 द0प्र0सं0 के आदेश दिनांक 19.08.2016 के निर्णय में अपीलकर्त्ता/आवेदक पुरन नाग वगैरह के पक्ष में Absolute किया गया है। आवेदक बिना किसी आधार पर धन्त्री साहू का स्वंय अर्जित सम्पति पर दावा करना न्याय के विरूद्ध है जो ना तो तथ्यों पर आधारित है ना ही तथ्य तर्क संगत है। अंत में विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि उपरोक्त विविध अपील वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अंचल अधिकारी, रनियां का पत्रांक 161 दिनांक 06.05.2017 के प्रतिवेदन अनुसार मौजा रनियां के खाता नं0 01 मधे रकबा 6.40 एकड़ भूमि की जमांबदी पंजी II में धन्त्री साहु ने सादा हुकुमनामा सी॰30/81 दिनांक 1948 ई0 के द्वारा प्राप्त किया गया है। जिसका भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)
1	1574	1.57
	1575	1.98
	1442	1.93
	1427	0.19
	1424	0.39
	1443	0.20
	1304	0.12
	1305	0.12
कुल रकबा		**6.50**

खाता नं0 01 एवं 15 मधे रकबा 12.03 एकड़ भूमि की जमांबदी पंजी 2 में

खाता नं0 01 एवं 15 मधे रकबा 12.03 एकड़ भूमि की जमांबदी पंजी 2 में बुधराम महतो वो चोरया महतो पिता टुनु महतो वो रूंगटु महतो वो झुंगटु महतो पिता अघनु महतो के नाम से दर्ज है जिसमें पंजी 2 रैयत ने पट्टा सं0 145 दिनांक 07.08.1951 का विक्रेता गोपाल मुण्डा पिता महतो मुण्डा से क्रय किया था उक्त निबंधन पट्टा में जुमला प्लॉट 25 जुमला रकबा 17.08 एकड़ दर्ज है किन्तु उक्त पट्टा के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त पट्टा में मात्र 12.03 एकड़ का ही प्लॉट एवं रकबा दर्ज है। उक्त पट्टा में रकबा के अनुसार सभी प्लॉट का विवरण दर्ज होना चाहिए था जो उक्त पट्टा में दर्ज नहीं किया गया है।

पट्टा में अंकित रकबा एवं प्लॉट का विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1	1405	1.42	
	1426	0.39	
	1428	0.08	
	1484	1.35	
	1485	1.19	
	1491	0.98	
	1312	1.04	
	1314	1.01	
	1422	2.00	
	1472	1.03	
कुल रकबा		**10.49**	
15	921	0.19	पंजी II के अनुसार कुल रकबा **1.54 एकड़** भूमि दर्ज है। पंजी II में प्लॉट दर्ज नहीं है।
	922	0.27	
	923	0.28	
	924	0.44	
	929	0.14	
	930	0.28	
कुल रकबा		**1.60**	

अतः उभय पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपने–अपने पक्षों में किये गये बहस, अंचल अधिकारी, रनियां से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक का अपील आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.11.29 11:10:10 +05:30
Location: 192.168.1.2

16/01/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

16/01/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।